पुस्तकालय

2
3178
6/3/12

सत्यमेव जयते

असंशोधित

24 FEB 2012

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
पै०स०प्रे०सं०......65......तिथि 05-3-12

टर्न-1/सत्येन्द्र/24-2-12

पंचदश विधान-सभा. 24 फरवरी,2012 ई0

------------- शुक्रवार,तिथि: --------------------

पंचम सत्र 05 फाल्गुन, 1933(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11.00 बजे पूर्वा0)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण,अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-07

श्री अश्विनी कुमार चौबे(मंत्री): महोदय(1)उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। यह बात सही है कि पटना शहर अन्तर्गत गोबिन्द मित्रा रोड में दवा के होलसेल का कारोबार होता है। ऐसी बात नहीं है कि यही से नकली दवाएं पूरे पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूरे प्रदेश में आपूर्त्ति होती है।

2-आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जनवरी,2011 से जुलाई 2011 तक पुलिस द्वारा सात बार की गयी कार्रवाई में नकली दवा एवं कारोबारी के पकड़े जाने की सूचना सम्प्रति उपलब्ध नहीं है, इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक,पटना से प्रतिवेदन प्राप्त की जा रही है जिसके आलोक में नियमानुसार तत्कालीन दोषी स्थानीय औषधि निरीक्षकों पर निलंबन एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। नकली दवा के कारोबारियों पर औषधि निरीक्षक प्रशासन द्वारा सतत कार्रवाई की जाती रही है। गोबिन्द मित्रा रोड,पटना के महालक्ष्मी फर्मा के विरूद्ध दिनांक 22-7-11 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, अनुज्ञप्ति विहीन संस्थान के संचालक श्री अरविन्द कुमार के विरूद्ध दिनांक 11-6-11 को प्राथमिकी दर्ज की गयी एवं अमरजीत कुमार के विरूद्ध दिनांक 27-7-11 को प्राथमिकी दर्ज की गयी । इन मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी जा चुकी है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

3-उपरोक्त कंडिका-2 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

श्री अवनीश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सिनियर एस0पी0 पटना ने समाचार पत्र में बयान दिया कि पटना के गोबिन्द मित्रा रोड में नकली दवा का कारोबार बड़े व्यापक पैमाने पर चल रहा है और इसमें इनके सरकारी पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग के ये काम कराने में लिप्त है,ये तो मानवता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अध्यक्ष महोदय,मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो इनके पदाधिकारी नकली दवा का कारोबार कराते हैं,क्या उनके खिलाफ विभाग आज तक कोई कार्रवाई की है, वैसे पदाधिकारी को चिन्हित किया है पूरे बिहार स्तर पर जो नकली दवा का कारोबार कराते हैं,मानवता के साथ वो खिलबाड़ करते हैं,ऐसे कितने पदाधिकारी पर बिहार सरकार ने कार्रवाई की है,माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करें।

श्री अश्विनी कुमार चौबे(मंत्री): महोदय,मैंने स्पष्ट कहा है कि एस0पी0 के यहां बजाप्ते उनसे आग्रह किया गया है कि आप दीजिये कि दोषी पदाधिकारी कौन हैं और किसके कारण से ऐसा हुआ है, उनका अभी तक अभियोजन प्राप्त नहीं हुआ है महोदय,जैसे ही प्राप्त होता है हमने कहा है,पहले ही कहा है कि हम उस पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार महोदय किसी भी हालत में कोई भी

१५.१२.२०११ एवं पत्रांक-९१४४ दिनांक १६.१२.२०११ को लिखा है कि अविलम्ब वे कार्रवाई शुरू करा दें । इतना ही नहीं २४ जनवरी को भवन निर्माण मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक बुलायी गयी थी, जहां-जहां न्याय-मंडल के मकान बनने हैं, उमसें देरी न हो, उसमें अविलम्ब कार्रवाई हो ताकि काम आगे बढ़ सके । माननीय सदस्य ने इस बात की चिन्तायें व्यक्त की है, मैं निश्चित रूप से उसपर नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई करूँगा ।

श्री जावेद इकबाल अंसारी : धन्यवाद ।

श्री जनार्दन मांझी : अध्यक्ष महोदय, बांका जिला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना के लिए कुछ नहीं हो रहा है, जबकि वहां डी०एम० का जो कोठी है सिंचाई विभाग में और डी०एम० के लिए अलग कोठी बनी है तो क्यों नहीं डी०एम० का अभी जो हमारा सिंचाई भवन है, उसमें जिला जज का स्थापना हो जाय, जबकि भवन वहां मौजूद है, भवन अभी खाली है एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, वह भी खाली है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य उस संदर्भ में जब उच्च न्यायालय का मंतव्य प्राप्त होगा तब न, स्वीकृति प्राप्त होगी तब न । लेकिन जावेद इकबाल अंसारी जी माननीय सदस्य को यह जानना था कि अगर संभव हो तो सप्ताह में या १५ दिनों पर एक दिन आवश्य भागलपुर से ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश वहां जाकर बैठें । इस संबंध में माननीय मंत्री जी का कोई कार्रवाई होगी क्या ?

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह किया जायेगा, उनसे रिक्यूस्ट किया जायेगा ।

श्री जावेद इकबाल अंसारी : धन्यवाद सर ।

<u>तारांकित प्रश्न सं०-१२०(श्री सतीश कुमार,स०वि०स०)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, इसमें एक सवाल है, इसमें पहले भी यह ध्यान में आया था कि जहां जमीन उपलब्ध है, उसको माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह गहरी जमीन है, ठीक नहीं है प्रखंड मुख्यालय में । प्रधान सचिव,उर्जा विभाग का जिला पदाधिकारी से बातचीत भी हुई थी, एक बैठक भी हुई थी प्रखंड कार्यालय का जमीन आवंटन करने में जिला पदाधिकारी ने कहा कि यह संभव नहीं है तब यह तय हुआ कि जहां यह सबस्टेशन बनाया जा रहा है, वहां केवल दिक्कत थी रास्ते की तो रास्ता के निर्माण के लिए पैसे आवंटित करने की बातें हुई कि रास्ता का निर्माण कराया जायेगा और जहां सबस्टेशन बन रहे हैं, वहीं बनने की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री सतीश कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, जो सबस्टेशन पास हुआ है वहां पर और जो स्थल चयन किया गया है, हमलोगों को जानकारी में नहीं दिया गया और अंचलाधिकारी के दबाव में जो निचला इलाका है राघोपुर का फतेहपुर ग्राम जो है, उसका निचला इलाका है, जहां बाढ़ में फर्स्ट फेज में ही भर कमर पानी आ जाता है तो हमलोगों ने कहा कि वैसे इलाकों में नही बनवाया जाय और प्रखंड मुख्यालय में जमीन उपलब्ध है, १२ एकड़ जमीन उपलब्ध

है और बीच गांव में पड़ता है और थाना के बगल में पड़ता है । सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी स्थल चेंज करना बहुत अतिआवश्यक है और जिलाधिकारी से भी मैंने मिला, मंत्री जी भी मिला, अध्यक्ष,विद्युत बोर्ड से भी मिला और सभी लोगों को मैंने अवगत कराया कि वहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और वहां कर्मचारी जो रहेंगे, इंजीनियर जो रहेंगे, वहां मिस्त्री जो रहेंगे और तार चोरी न हो, इसलिए प्रखंड मुख्यालय उचित जगह है और मुख्य सड़क पर है और वह किनारे पड़ता है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूँ कि उसका स्थल चेंज करवा दें क्योंकि वह गहरी जमीन है और वह विवादित जमीन है । वहां पर पब्लिक पेटीशन पड़ा है सैंकड़ों लोगों का, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, जिसका नाम है डिग्री का जमीन और उसपर कोर्ट केस चल रहा है । वहां के पब्लिक इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए उस स्थल को चेंज किया जाय ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : फिर मैं माननीय सदस्य को कहूँगा कि माननीय सदस्य के पहले ही यह जमीन आवंटन हो चुका, भुगतान भी इसका हो चुका है, इसलिए जिला पदाधिकारी अगर फिर से प्रतिवेदन देंगे, तभी संभव हो पायेगा । जैसा मैंने कहा कि जिला पदाधिकारी ने पंचायतीराज के जिम्मे है ग्रामीण विकास का जमीन है प्रखंड कार्यालय का, अगर सी०ओ० इसको करेंगे, एस०डी०ओ०, कलक्टर, रिजनल कमीश्नर तब यह विभाग में आकर के उस विभाग के कनसेन्ट के बाद ही, आजकल कोई विभाग जमीन ट्रांसफर तो करना चाहता नहीं है । इसीलिए वैकल्पिक हुआ कि उसी में रास्ता का निर्माण करके लेकिन माननीय सदस्य का चिन्ता है तो अप्रील में हम चलेंगे इनके साथ देख लेंगे कि क्या हो सकता है ।

तारांकित प्रश्न सं०-१२० का पूरक

श्री सतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, बीस सूत्री की बैठक में, पंचायत की बैठक में, जिला बीस सूत्री की बैठक में, जिला परिषद् की बैठक में सबमें मांग उठी है कि वह ब्लॉक कैंपस में बनना चाहिए। इसलिए विभाग से कोई टीम जाती है तो उसमें हमलोगों को रखा जाय और स्थल खुद देख लें।

अध्यक्ष : ये स्वयं स्थल अध्ययन करेंगे आपके साथ जाकर के।

श्री सतीश कुमार : जी धन्यवाद।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : क्या है राघवेन्द्र प्रताप जी का प्वाइंट.........

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, एक तो कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी आश्वासन ही कम देते हैं और जो आश्वासन देते हैं हुजूर, वह कभी पूरा होता नहीं है। अब जैसे गुड्डी देवी जी का इन्होंने आश्वासन दिया था कि मार्च,२०११ में पूरा हो जायेगा, हमको पिछले सत्र में इन्होंने आश्वासन दिया था कि अप्रील में पूरा हो जायेगा। आज अंधाधुंध आश्वासन दिये जा रहे हैं तो हुजूर ये सदन है कम से कम वो जो पुराना फिल्मी गीत है कि सजन से झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है न पान पराग तुलसी है।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : माननीय सदस्य माहिर हैं और वे भी मंत्री रहे हुए हैं, अगर आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो आश्वासन समिति भी उसको देखती है। आश्वासन समिति का काम करना चाहिए। आप ऐसा मत बोलिये, ऐसा मत बोलिये आप भी मंत्री थे, सबको सब जान ही रहा है। आश्वासन जो लिखित आता है फाइल पढ़कर के मंत्री जवाब देता है। आप भी क्या थे, नहीं थे उसको खोलने की जरूरत नहीं है। हम खोलें, चुप रहिये।

अध्यक्ष : शांति-शांति।

तारांकित प्रश्न सं०-१२१-डा० अब्दुल गफूर

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, १- आंशिक स्वीकारात्मक है। सहरसा जिलान्तर्गत सत्तर कटैया प्रखंड के मनहारा गांव में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत ट्रांसफार्मर लगाकर जून, २०११ में विद्युत् आपूर्ति प्रारंभ की गयी थी। दिसम्बर, २०११ में ये ट्रांसफार्मर खराब हो गया।

२- उक्त ट्रांसफार्मर गारंटी अवधि में खराब हुआ है। अतः इसे बदलने के लिए संबंधित एजेंसी मे० टेक्नो इलेक्ट्रीकल को सूचित किया गया।

डा० अब्दुल गफूर : अध्यक्ष महोदय, वो जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली लगायी जा रही है। ये तो मनहारा गांव का मैंने एक सिंबोलिक तौर पर दिया और दो महीना-तीन महीना बाद वो ट्रांसफार्मर जल जाता है। अब मैंने विभाग से बात किया कि साहब आपने लगाया और दो महीने के बाद ट्रांसफार्मर जल गया तो उसने कहा कि अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, एक दिन मेरी जिम्मेदारी है कि बिजली लगाकर के एक दिन सिर्फ हम रौशनी देंगे और बाकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हम बिहार विद्युत् बोर्ड के हवाले कर देते हैं, अब ट्रांसफार्मर जले रहे वो जाने। अब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि हम टेक्नो से उसको देखवा रहे हैं, टेक्नो नहीं देखेगा इसको।